न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः प्रियंका तलानिया RAS
न्याय निर्णयन आवेदन संख्याः–01/2023 (खाद्य पदार्थ नमुना संख्या के, (1278)
राजस्थान सरकार जरिये हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्थास्थ्य अधिकारी श्रीगंगागनगर प्रार्थी
बनाम
विक्रम तीर्थदास पुत्र कर्मचन्द सिन्धी (विक्रेता व मालिक) मैसर्स मेथिया स्वीट हाउस एण्ड मैंगो बार नया बाजार रावला
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)51

निर्णय **दिनांकः–28.12.2023**

यह इस्तगासा हरीराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की धारा 51 एफ. एस. एस. ए 2006 के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार हैः– यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता दिनांक 03.11.2021 को दोपहर बाद 2:00 बजे पर निरीक्षनार्थ मैसर्स– मेठिया स्वीट हाउस एण्ड मैंगो बार नया बाजार नई धान मण्डी रावला। निरीक्षण के दौरान दुकान/संस्थान पर मालिक विक्रम तीर्थ पुत्र कर्मचन्द सिन्धी कारोबार कर रहा था, जिसका विक्रेता व मालिक होना बताया।

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में बुंदी लडडु वनस्पति घी से निर्मीत कुल 20 किलो ग्राम खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय हेतु रखा था। शुद्धता की जॉच हेतु विक्रेता एंव मालिक को मौके पर फार्म नं0 5 ए भरकर प्रति नमुना सूचनार्थ दी गई गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फॉर्म संख्या 5 ए की प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को भरकर दी जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा बेसन बुंदी लडडु (वनस्पति में तैयार) मिठाई 2 किलो खाद्य पदार्थ विक्रेता से खरीद कर लिया जिसका नगद भुगतान 480 रूपये किया तथा कैश मीमो बनाकर लिया जिसपर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है। और तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। नमुने वास्ते लिये खाद्य पदार्थ **बुंदी लडडु वनस्पति** से निर्मित को एक रूप कर बराबर भागो में बॉट कर , जिसको चार बोतलो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर कसकर ढक्कन बंद किये में भरकर लिया प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की चालीस बुंदे डालकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन से बंद किया चारो बोतलो पर लेवल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर लेवल चिपकाए एवं लेवलो पर डि.ओ. कोड एवं सिरीयल नम्बर के– 1278 दर्ज किया। और बोतलो को चारो नमुनो भागो पर निचे से उपर तक गोलाई में गौंड से चिनकाया प्रत्येक नमुना भाग को धागे से बॉधकर नियमानुसार सिल चपडी किया प्रत्येक नमुने भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये की पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये चारों नमुनो भागो के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बंद चारो नमुना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों मौके पर पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे तीर्थदास पुत्र कर्मचन्द सिन्धी (वि. व मालिक एवं गवाहान ने भी पढकर) सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैने स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें।

यह है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधि[illegible] फार्म नं0 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमुना सील लगाई जिस[illegible]मुने [illegible]ील किया। एक नमुना भाग मय फार्म नं0 6 की आउटर कवर में [illegible] खाद्य विश्लेषक बीकानेर को स्वयं के द्वारा जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय [illegible]र्णयन आवेदन के साथ [illegible] है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में [illegible] कर चपडी से सील मो[illegible] मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा [illegible]वाकर फॉर्म सं0 6 की पु[illegible] रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बंद नमुना भाग में फॉर्म नं0 6 की दो प्रतिया के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमुने का चौथा भाग डी,ओ मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर को मेरे स्वयं के द्वारा जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2024.05.13 12:25:41 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी,ओ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2021/192 दिनांक 07.12.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/527/एक्ट/2002/525 दिनांक 29.11.2021 द्वारा **sub-standard food** होना पाया गया है। जॉच रिपोर्ट में अग्रेषित पत्र मुल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है।
यह है कि श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण राजस्थान जयपुर के पत्रांक आयुक्ता/खा.सु.ओ.नि./स.सी/2023/3096 दिनांक 02.08.2023 के द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी हंसराज गोदारा को उक्त प्रकरण को संस्थित करने हेतु अधिकृत किया गया है। द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। अप्रार्थी द्वारा बुंदी लड्डु वनस्पति घी से निर्मीत **sub-standard food** विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

श्रीमान जी से निवेदन है कि अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अकुश लग सके।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें तीर्थदास पुत्र कर्मचन्द जाति सिन्धी निवारी रावला मालिक मिठिया स्वीट एवं मैंगो बार नया बाजार रावला जिसके विरूद्ध परिवाद पेश किया है। तीर्थ दास का दिनांक 18.11.2021 को देहान्त हो चुका हे। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। प्रकरण में मृतक के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाकर प्रकरण निरस्त फरमाया जावें।

बहस अप्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर एवं प्रस्तुत विक्रम तीर्थदास पुत्र कर्मचन्द सिन्धी (विक्रेता व मालिक) मैसर्स मेठिया स्वीट हाउस एण्ड मैंगो बार नया बाजार रावला के विरूद्ध पेश किया गया है। जिसकी मृत्यु दिनांक 18.11.2021 को हो चुकी है। प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 25.08.2023 को निरस्त किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर किया जावे।

Priyanka

(प्रियंका तलानिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2024.05.13 12:25:41 IST
Reason: SelfAttested